भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1624

उत्तर देने की तारीख 01.08.2024

एमएसएमई इकाइयों में रोजगार के अवसर

1624. **श्री. ए. राजाः**

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पीएमईजीपी सहित विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत एमएसएमई में सृजित रोजगार अवसरों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या बैंकों से वित्तपोषण की कमी, विपणन अवसरों की कमी आदि के कारण एमएसएमई इकाइयों में कार्यरत व्यक्तियों की संख्या में कमी आ रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा एमएसएमई इकाइयों को प्रोत्साहित करने तथा एमएसएमई में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) सरकार एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न स्कीमों का कार्यान्वयन करती है। इनमें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), खरीद एवं विपणन सहायता (पीएमएस) स्कीम, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों हेतु ऋण गारंटी स्कीम (सीजीएसएमएसई), सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसईसीडीपी), परंपरागत उद्योगों के पुनर्सृजन हेतु निधि स्कीम (स्फूर्ति), नवपरिवर्तन, ग्रामीण उद्योग एवं उद्यमिता संवर्धन स्कीम (एस्पायर) आदि शामिल हैं। पीएमईजीपी का विशेष रूप से ध्यान नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना करके रोजगार सृजन पर है।

विगत तीन वर्षों के दौरान उद्यम और उद्यम सहायता मंच (यूएपी) के अनुसार एमएसएमई क्षेत्र में रोजगार का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(एमएसएमई एवं रोजगार की संख्या लाख में)

वित्तीय वर्ष	पंजीकृत कुल एमएसएमई			रोजगार		
	उद्यम	यूएपी	कुल	उद्यम	यूएपी	कुल
2021-22	51.36	-	51.36	349.54	-	349.54
2022-23	72.33	13.32	85.66	446.95	133.25	460.27
2023-24	96.00	153.14	249.13	559.13	185.46	744.59

विगत 03 वर्षों के दौरान पीएमईजीपी के अंतर्गत सृजित अनुमानित रोजगार का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	सहायता प्राप्त इकाइयों की संख्या	एमएम सब्सिडी (रुपए करोड़ में)	सृजित अनुमानित रोजगार	औसत परियोजना आकार (रु. लाख में)	कुल स्वीकृत ऋण (रु. करोड़ में)
वित्तीय वर्ष 2021-22	1,03,219	2,977.66	8,25,752	9.01	8773.23
वित्तीय वर्ष 2022-23	85,167	2,722.17	6,81,336	10.04	8084.74
वित्तीय वर्ष 2023-24	89,118	3,093.88	7,12,944	11.14	9,385.00

** प्रति इकाई औसत रोजगार 8 होने का अनुमान है।*

(ख) उद्यम पंजीकरण और उद्यम सहायता मंच पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान अभिलेखित 3.49 करोड़ रोजगार की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023-24 में 7.44 करोड़ रोजगार की सूचना प्राप्त हुई है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत, विगत तीन वर्षों के दौरान औसत वार्षिक अनुमानित रोजगार सृजन 8 है। इसके अतिरिक्त, आरबीआई से प्राप्त अभिलेख के अनुसार, एमएसएमई का ऋण संवितरण वित्तीय वर्ष 2022-23 में 16.97 लाख करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2023-24 में 22.04 लाख करोड़ हो गया है, जो एमएसएमई क्षेत्र को उच्च ऋण संवितरण का सूचक है। पीएमईजीपी के अंतर्गत, सूक्ष्म उद्यमों का संस्वीकृत ऋण वित्तीय वर्ष 2021-22 में 8773.23 करोड़ रु. से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2023-24 में 9,385.00 करोड़ रु. हो गया है।

(ग) एमएसएमई इकाइयों और एमएसएमई क्षेत्र में रोजगार अवसरों को प्रोत्साहित करने के लिए एमएसएमई मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदम:

i. **प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)**:
   - क) विनिर्माण क्षेत्र के लिए स्वीकार्य अधिकतम परियोजना लागत 25 लाख रु. से बढ़ाकर 50 लाख रु. और सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख रु. से बढ़ाकर 20 लाख रु. कर दी गई है।
   - ख) आकांक्षी जिलों और ट्रांसजेंडर आवेदकों को विशेष श्रेणी में शामिल किया गया है।
   - ग) स्कीम के अंतर्गत डेयरी, कुक्कुट पालन, जलीय कृषि, कीट (मधुमक्खी, रेशम उत्पादन, आदि) जैसे पशुपालन से संबंधित उद्योगों को अनुमति दी गई है।
   - घ) पीएमईजीपी के अंतर्गत दूसरे ऋण के लिए आवेदन करने वाली मौजूदा पीएमईजीपी/ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम/मुद्रा इकाइयों की लाभप्रदता पर विचार करते हुए कोविड वर्ष अर्थात वित्तीय वर्ष 2020-21 और वित्तीय वर्ष 2021-22 में छूट दी गई है।
   - ङ) 2 लाख रु. तक की परियोजना लागत के लिए कोई अनिवार्य ईडीपी नहीं है और 5 लाख रु. तक की परियोजनाओं के लिए प्रशिक्षण की अल्प अवधि (5 दिन तक) है।
ii. 200 करोड़ रु. तक की खरीद के लिए कोई वैश्विक निविदा नहीं।
iii. एमएसई के लिए ऋण गारंटी स्कीम: सीजीएसएमएसई के अंतर्गत, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) के माध्यम से विभिन्न श्रेणियों के ऋणों के लिए 85% तक के गारंटी कवरेज के साथ एमएसई को 500 लाख रु. की सीमा तक (01.04.2023 से प्रभावी) समपार्श्विक मुक्त ऋण प्रदान किए जाते हैं।
iv. अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों (आईएमई) को औपचारिक दायरे में लाने के लिए उद्यम सहायता मंच नामक पोर्टल का शुभारंभ, जिससे पंजीकृत आईएमई को प्राथमिकता क्षेत्र ऋण का लाभ लेने में सहायता मिली है।
v. दिनांक 02.07.2021 से खुदरा और थोक व्यापारियों को एमएसएमई के रूप में शामिल करना।
vi. एमएसएमई की स्थिति में उन्नयन की स्थिति में गैर-कर लाभ को 3 वर्ष के लिए बढ़ाया जाना।
vii. दिनांक 17.09.2023 को "पीएम विश्वकर्मा" स्कीम का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य 18 व्यवसायों में संलग्न परंपरागत कारीगरों और शिल्पकारों को ऋण सहायता, कौशल प्रशिक्षण, विपणन सहायता आदि जैसे कई लाभ प्रदान करना है। इस स्कीम में लाभार्थियों को उद्यम सहायता मंच पर औपचारिक एमएसएमई परिवेश में "उद्यमी" के रूप में शामिल किया जाएगा।

****